उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 65/सीपी 1058/84-2-2014-सीपी 6/2013
लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर ,2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री ओम प्रकाश सिन्हा पुत्र स्व0 रामचन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त जिला जज, 433, एल्डिको कालोनी, उद्यान प्रथम, निकट बंग्ला बाजार, लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-67/सीपी 402/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। श्री ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा अपने पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2871/एससीडीआरसी/अधि 68/13, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री ओम प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2014 की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। निबन्धक द्वारा श्री ओम प्रकाश सिन्हा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर का त्यागपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 24 सितम्बर, 2014 से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-65/सीपी 1058(1)/84-2-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
(3) कोषाधिकारी, फतेहपुर ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री ओम प्रकाश सिन्हा पुत्र स्व0 रामचन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त जिला जज, 433, एल्डिको कालोनी, उद्यान प्रथम, निकट बंग्ला बाजार, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in